कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी

सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील

देहली–मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)

तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005

E-Mail: lao.dmic@rajasthan.gov.in

क्रमांक : F11(10)DMIC/LAO/JPMIA/SEC-11/2025 दिनांक :–ई–हस्ताक्षर।

–:: लोक सूचना ::–

जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (JPMIA-RDA) द्वारा राज्य में केन्द्र प्रवर्तित देहली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत विश्व स्तरीय औद्योगिक नगरी की स्थापना हेतु लोक प्रयोजन के लिए तहसील रोहट के ग्राम निम्बली ब्राहम्णान, रोहट, दूदली, सिणगारी एवं डूंगरपुर की कुल 1086.4494 हैक्टेयर निजी खातेदारी भूमि को अवाप्त करने के क्रम में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 23 सपठित राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के नियम 23 के अन्तर्गत अधिनिर्णय **दिनांक 02.01.2026** को पारित किया जा चुका है।

उक्त अवाप्तशुदा भूमि के प्रतिकर भुगतान हेतु इस कार्यालय द्वारा पूर्व में दिनांक 09.01.2026 को 2013 के अधिनियम की धारा 37(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी कर समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को दिनांक 27.02.2026 तक आवश्यक दस्तावेज कार्यालय उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र– क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, आईटीआई रोड़, पाली में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया था।

चूंकि उक्त नियत अवधि तक बहुसंख्यक हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः लोक हित को ध्यान में रखते हुए ऐसे हितबद्ध व्यक्ति जो उक्त तिथि तक अपना दस्तावेज/सूचना प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं, उनको अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दस्तावेज प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 27.02.2026 से बढ़ाकर अब **दिनांक 01.04.2026** की जाती है।

अतः समस्त संबंधित खातेदार/हितबद्ध व्यक्ति अवाप्त भूमि के प्रतिकर भुगतान हेतु वांछित दस्तावेज (यथा– नवीनतम राजस्व रिकॉर्ड, बैंक पासबुक/कैंसिल चेक, पहचान पत्र, शपथ पत्र आदि) दिनांक 01.04.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, पाली में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।

नियत तिथि तक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने अथवा विवरण उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में प्रतिकर की राशि नियमानुसार राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, जयपुर में जमा करवा दी जावेगी।

(शिव चरण शर्मा)

भूमि अवाप्ति अधिकारी,डीएमआईसी (रीको)

सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन

अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील

Signature valid

Digitally signed by Shiv Charan Sharma
Designation : Land Acquisition Officer
Date: 2026.02.26 16:52:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20789900

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर, पाली को प्रेषित कर निवेदन है कि संलग्न लोक सूचना को आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगवाने का श्रम करावें।
2. श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त, डीएमआईसी विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि संलग्न लोक सूचना को आपके कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
3. श्रीमान् उप शासन सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
4. श्रीमान् उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जेपीएमआईए–आरडीए, जोधपुर।
5. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, रोहट, जिला पाली।
6. तहसीलदार रोहट, जिला पाली।
7. विकास अधिकारी, रोहट, जिला पाली।
8. श्रीमान् मुख्य महाप्रबन्धक (पीआर एवं आईटी), रीको, उद्योग भवन, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि संलग्न लोक सूचना को वेबसाईट पर अपलोड करवाते हुए, **राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर समाचार पत्र के पाली संस्करण में न्यूनतम क्षेत्रफल में पठनीय अवस्था में प्रकाशित** करवाने का श्रम करावें।
9. निजी सचिव, श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान।
10. वरिष्ठ निजी सचिव, श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जेपीएमआईए–आरडीए।
11. वरिष्ठ निजी सचिव, श्रीमान् प्रबन्ध निदेशक रीको/रिडको, जयपुर।
12. निजी सचिव, श्रीमान् नियंत्रक अधिकारी, डीएमआईसी एवं सलाहकार (इन्फ्रा), रीको जयपुर।
13. इकाई प्रभारी, रीको पाली को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न लोक सूचना को जनसाधारण की जानकारी हेतु मुनादी करवाते हुए, संबंधित ग्राम पंचायतो, तहसील कार्यालय रोहट, उपखण्ड कार्यालय रोहट में उपलब्ध करवाते हुए प्रस्तावित भूमि के निकट सुविधाजनक स्थानों पर चस्पानगी करवाया जाकर पालना रिपोर्ट मय फोटोग्राफ्स इस कार्यालय को प्रेषित करावें।

भूमि अवाप्ति अधिकारी,डीएमआईसी (रीको)
सह प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन
अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील

Signature valid
Digitally signed by Shiv Charan Sharma
Designation : Land Acquisition Officer
Date: 2026.02.26 16:52:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20789900